

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 नवम्बर 2021—कार्तिक 14, शक 1943

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

#### कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

प्रारूप-अठारह

[नियम 19(5) देखिए]

[ धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना ]

विज्ञप्ति क्रमांक 221.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर द्वारा प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.पी.एस.-01, ग्राम खजराना, तहसील जूनी, इंदौर, जिला इंदौर तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उप-नियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. इंदौर विकास प्राधिकरण, 7, रेसकोर्स रोड, इंदौर.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर
3. प्राधिकरण की वेबसाईट [WWW.idaindore.org](http://WWW.idaindore.org) पर भी प्रकाशित.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जाएगा.

(G-725)

प्रारूप-अठारह  
[नियम 19(5) देखिए]

[ धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना ]

विज्ञप्ति क्रमांक 222.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर द्वारा प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.पी.एस.-03, ग्राम लसूडिया मोरी, तलावली चांदा, तहसील जूनी इंदौर, ग्राम अरंडिया एवं मायाखेड़ी, तहसील कनाडिया, जिला इंदौर तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उप-नियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. इंदौर विकास प्राधिकरण, 7, रेसकोर्स रोड, इंदौर.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर
3. प्राधिकरण की वेबसाईट WWW.idaindore.org पर भी प्रकाशित.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जाएगा.

(G-725)

प्रारूप-अठारह  
[नियम 19(5) देखिए]

[ धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना ]

विज्ञप्ति क्रमांक 223.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर द्वारा प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.पी.एस.-04, ग्राम निपानिया, तहसील जूनी इंदौर एवं ग्राम कनाडिया, तहसील कनाडिया, जिला इंदौर तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उप-नियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. इंदौर विकास प्राधिकरण, 7, रेसकोर्स रोड, इंदौर.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर
3. प्राधिकरण की वेबसाईट WWW.idaindore.org पर भी प्रकाशित.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जाएगा.

(G-725)

प्रारूप-अठारह  
[नियम 19(5) देखिए]

[ धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना ]

विज्ञप्ति क्रमांक 224.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर द्वारा प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.पी.एस.-05, ग्राम कनाडिया, तहसील कनाडिया, जिला इंदौर तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उप-नियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. इंदौर विकास प्राधिकरण, 7, रेसकोर्स रोड, इंदौर.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर
3. प्राधिकरण की वेबसाइट WWW.idaindore.org पर भी प्रकाशित.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जाएगा.

(G-725)

प्रारूप-अठारह  
[नियम 19(5) देखिए]

[ धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना ]

विज्ञप्ति क्रमांक 225.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर द्वारा प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.पी.एस.-08, ग्राम भौरासला, शक्करखेड़ी कुमेडी एवं भांग्या, तहसील मल्हारगंज, ग्राम कैलोदहाला, लसूडिया मोरी एवं तलावली चांदा, तहसील जूनी इंदौर तथा ग्राम अरंडिया, तहसील कनाडिया, जिला इंदौर तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उप-नियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. इंदौर विकास प्राधिकरण, 7, रेसकोर्स रोड, इंदौर.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर
3. प्राधिकरण की वेबसाइट WWW.idaindore.org पर भी प्रकाशित.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जाएगा.

विवेक श्रोत्रिय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(G-725)

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 नवम्बर 2021—कार्तिक 14, शक 1943

## भाग 3 ( 2 )

सांख्यिकीय सूचनाएं

( कुछ नहीं )